आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं.326/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2010-11

श्रीमती निशा मंगलानी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी- 5(3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एजेपीपीएम 3032 क्यू		

आ.अ.सं.327/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2010-11

श्री प्रेमचंद मंगलानी, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी- 5(3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीयूपीएम 8202 डी		

अपीलार्थियों की ओर से :	श्री एस.एस.देशपांडे, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	01.09.2021
उद्घघोषणा तिथि :	07.09.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारितियों द्वारा यह अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, इंदौर के अलग-अलग आदेशों क्रमशः दिनांक 13.06.2019 तथा 18.11.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारितियों को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किये थे । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारितियों को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किये थे जो कि न्यायसंगत नहीं हैं । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । ये अपीलें निर्धारितियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती हैं तथा निर्धारितियों को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 07.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उदघोषित किया गया है ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल